नि:शुल्क प्रेस विज्ञप्ति

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु नेबरहुड के अर्न्तगत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जाने के लिये छात्र–छात्राओं के आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते है। प्रथम चरण में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2017 तक है।

(1) अलाभित समूह

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा नि:शक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता अथवा अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है।

(2) दुर्बल वर्ग

दुर्बल वर्ग की श्रेणी में– जिसके माता–पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते है या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 1,00,000/– तक है, को रखा गया है।

(3) आवेदनपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के कार्यालय से अथवा जनपद की वेबसाइट से आन–लाइन अभिभावक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(4) शैक्षिक सत्र 2017–18 में कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा जो कक्षा–8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा।

(5) विद्यालय में लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्यालय को शासनादेश की शर्तो के अनुसार की जायेगी।

(6) प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय का आवंटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(7) प्रवेश हेतु बच्चे अथवा अभिभावक की किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग/परीक्षा प्रतिवंधित है।

(8) सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

संबंधित शासनादेशों एवं आवेदनपत्र का प्रारूप जनपद की वेबसाइट sultanpur.nic.in पर उपलब्ध है।

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–सुलतानपुर।

पत्रांक: बेसिक/आर0टी0ई0/5137–45 /2016–17 दिनांक: 21–2–2017

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
5. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनहित में नि:शुल्क समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी, सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति तथा संलग्न शासनादेश एवं आवेदनपत्र प्रारूप को जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सुलतानपुर को अनुपालनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।

Application ID | |
(केवल बेसिक शिक्षा विभाग हेतु)

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद ____________

Photo
(बच्चे की फोटो)

1. बच्चे का पूरा नाम ____________
2. किसी एक को चिन्हित करें ☐ बालक ☐ बालिका
3. जन्मतिथि (dd/mm/yyyy) d d m m y y y y
4. पिता का नाम ____________
5. माता का नाम ____________
6. अभिभावक का नाम ____________
7. वर्तमान पता ____________
8. वार्ड का नाम ____________ (घर के पते अनुसार वार्ड का नाम लिखें)
9. माता–पिता/अभिभावक का मो0 नं0 ____________
10. जिस कक्षा में **प्रवेश** (एडमिशन) करवाना है, चिन्हित करें: ☐ नर्सरी ☐ कक्षा 01

11. **विद्यालयों का नाम एवं पता प्राथमिकता (Preference order) के हिसाब से:-**

निर्देश- यदि आप एक से अधिक प्राइवेट स्कूलों के नाम देना चाहते हैं तो फॉर्म में सारे स्कूलों के नाम प्राथमिकता के हिसाब से भरें। उदाहरण के लिए 1) पहली प्राथमिकता का विद्यालय 2) दूसरी प्राथमिकता का विद्यालय 3) तीसरी प्राथमिकता का विद्यालय आदि ।

प्राथमिकता	विद्यालय का का नाम	विद्यालय का पता	घर से अनुमानित पैदल दूरी कि0मी0/मी0 में
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

वर्तमान पते के प्रमाण हेतु अभिभावक द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर उसे चिन्हित करें- (कोई एक)

1) मतदाता परिचय पत्र	☐	4) भू अधिकार पत्रिका / ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड	☐
2) राशनकार्ड	☐	5) पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/विद्युत बिल	☐
3) आधार कार्ड	☐	6) अन्य कोई राजकीय दस्तावेज़ जिसमें बच्चे के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।	☐

12.जमा करने वाले दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर उसे चिन्हित करें- (कोई एक)

अलाभित समूह		दुर्बल वर्ग	
1) अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग)	☐	1) अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक 1 लाख से कम)	☐
2) अभिभावक का कैंसर/एच. आई. वी. के प्रमाण-चिकित्सीय प्रमाण पत्र	☐	2) अभिभावक का विकलांगता / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की बैंक पासबुक कॉपी	☐
3) बच्चे की नि:शक्तता / निराश्रित / तृतीय लिंग प्रमाण पत्र	☐	3) अभिभावक का बी. पी. एल. कार्ड	☐

13. बच्चे की आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ की फोटोप्रति संलग्न कर उसे चिन्हित करें- (कोई एक)

1) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख	☐	3) आगनबाड़ी का अभिलेख	☐
2) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी/ नगर निगम से प्रमाण पत्र	☐	4) अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र/ एफिडेविट के माध्यम से घोषणा	☐

स्वघोषणा प्रमाण-पत्र

एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियाँ व संलग्न प्रमाण- पत्र सत्य हैं। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

दिनांक ________

माता–पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान ________

इस फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों की 2 फोटोकॉपी साथ में अवश्य लेकर आएं।

संख्याः 582 /79-5-2016-29/2009टी.सी.-II

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ ।

लखनऊ : दिनांक :03 मार्च, 2016

शिक्षा अनुभाग-5

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1) (ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 के पत्रांक-आर0टी0ई0-25%/8374/2015-16, दिनांक 01-3-2016 एवं शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 के पत्रांक-शि0नि0(बे0)/38079/2015-16, दिनांक 01.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने के सम्बन्ध में है।

2- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) (ग) के अन्तर्गत 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-266/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-II, दिनांक 24 फरवरी, 2016 द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी0सी0-II, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रस्तर 6(ख) में यह व्यवस्था दी गई थी कि विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु बच्चों के माता-पिता/अभिभावक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 28 फरवरी तक आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से निर्णय कराते हुए प्रवेश लेने वाले बच्चों की सूची 01 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व निजी विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। कतिपय स्रोतों से यह पृच्छा की गयी है कि क्या 28 फरवरी की तिथि आवेदन करने की अन्तिम तिथि है।

3- उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-15 में स्पष्ट प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत् है :-

> *"धारा-15 – किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा:*
>
> *परन्तु किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित है:*

परन्तु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।"

4— तत्क्रम में बनाई गई उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 के नियम—10 में अधिनियम की उक्त धारा—15 में प्राविधानित, प्रवेश के लिए बढ़ाई गई अवधि के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गई है :—

"10 (1) प्रवेश की बढ़ायी गयी अवधि किसी विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह अर्थात सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात 30 सितम्बर तक होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को किसी विद्यालय में बढ़ायी गयी अवधि के पश्चात प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी पढ़ायी पूरा करने की लिए पात्र होगा/होगी।"

5— उक्त प्राविधान में स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत न तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की और न ही विद्यालयों में प्रवेश लेने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित है। उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 में स्पष्ट प्राविधान है कि किसी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जायेगा। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने या विद्यालय में प्रवेश लेने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

6— चूंकि शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से प्रारम्भ होता है इसलिए छात्रों के शिक्षण के हित में यह आवश्यक है कि अधिकांश छात्र—छात्राओं का प्रवेश शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व हो जाये। 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा—एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने हेतु निम्नवत् समय—सारिणी निर्धारित की जाती है :—

क्र0 सं0	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि	प्रार्थना पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराने का दिनांक	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
1.	15 मार्च, तक	25 मार्च	01 अप्रैल
2.	16 मार्च—15 अप्रैल,	25 अप्रैल	01 मई
3.	16 अप्रैल—10 मई,	15 मई	18 मई
4.	11 मई —15 जून,	25 जून	01 जुलाई

उक्त के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों को अधिकतम दस दिवसों में निर्णीत कराते हुए उन बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। उक्त समय—सारिणी में स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

7— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निस्तारण सम्बन्धित सरकारी/परिषदीय/सहायतित विद्यालयों के समेकित (सभी कक्षाओं को शामिल करते हुए)

छात्र शिक्षक अनुपात (1:30) को संज्ञान में रखते हुए किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में चूंकि पूर्व प्राथमिक कक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, अतः 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के जिन बच्चों के माता–पिता/अभिभवक अपने बच्चों का पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश चाहते हैं, उन बच्चों का प्रवेश आस–पास (Neighbourhood) में स्थित ऐसे विद्यालयों में कराया जायेगा जहाँ पर पूर्व प्राथमिक कक्षायें उपलब्ध हों तथा वे विद्यालय सामान्यतः अन्य बच्चों का भी प्रवेश उन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में करते हों।

8– इस सम्बन्ध में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप इसमें यथोचित संशोधन किया जा सकता है। प्रारूप में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़े तो यह ध्यान रखा जाय कि यह प्रारूप 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। अतः प्रारूप सरल रहे।

9– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाई की जाय।

10– शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/2009 टी0सी0–II, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 538/79–6–2013, दिनांक 20 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या–266/79–5–2016–29/2009 टी0सी0–II, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के प्रावधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

(आशीष कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– वित्त नियत्रंक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।
6– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।
7– शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।